MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES
(Department of Heavy Industry)

NOTIFICATION

New Delhi, the   March, 2017

F.No. 6/01/2017-NAB (Auto) – 1(i) In pursuance of the decision of the Cabinet in its meeting held on 31st March 2011 for the launch of the "National Mission for Electric Mobility" and for setting up of National Council for Electric Mobility (NCEM) & National Board for Electric Mobility (NBEM) to propagate electric mobility and manufacture of electric vehicles (including hybrid vehicles) and their components, the Central Government hereby constitutes the "National Board for Electric Mobility (NBEM)" with the following members, namely –

(1) Secretary (Department of Heavy Industry)	-	Chairman
(2) Secretary (Department of Economic Affairs)	-	Member
(3) Secretary (Department of Revenue)	-	Member
(4) Secretary (Ministry of Power)	-	Member
(5) Secretary (Ministry of Road Transport and Highways)	-	Member
(6) Secretary (Ministry of Urban Development)	-	Member
(7) Secretary (Ministry of New & Renewable Energy)	-	Member
(8) Secretary (Ministry of Environment, Forests & Climate Change)	-	Member
(9) Secretary (Department of Industrial Policy & Promotion)	-	Member
(10) Secretary (Ministry of Petroleum and Natural Gas)	-	Member
(11) Secretary (Department of Science & Technology)	-	Member
(12) Adviser [Transport], NITI Aayog	-	Member
(13) Chairman, Technical Advisory Group	-	Member
(14) CEO, NATRIP/Chairman, NAB (Proposed)	-	Member
(15) President, Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM)	-	Member
(16) President, Automobile Component Manufacturers Association of India [ACMA]	-	Member
(17) President, Society of Manufacturers of Electric Vehicles [SMEV]	-	Member
(18) President, Battery Manufactures Association	-	Member
(19) Joint Secretary [In-charge of Automobile Diviosn]	-	Member Secretary

Nominated Members:

Six members of eminence and expertise from the area of automobile industry, academia and research and development –

(20) Shri Vikram Shreekant Kirloskar, CMD, Kirloskar Systems Ltd.
(21) Shri Vinod Dashari, MD, Ashok Leyland
(22) Shri Pawan Goenka, Mahindra & Mahindra
(23) Shri S Vijay Ananad, CEO, Amara Raja Batteries
(24) Ms Annamalai Hemalatha, MD, Ampere Vehicles Ltd.
(25) Shri Sudarshan Venu, Joint MD, TVS Motors

(ii) The Chairman, NBEM may also co-opt additional members including members from the State Governments or Union Territories, as required, from time to time.

Contd./-

(iii) **Tenure of members**: The nominated members will have tenure of two years on the Board, or until further Government order, whichever is earlier. These members can be re-nominated for additional terms, if needed.

2. **Functions and Power of National Board on Electric Mobility**: The main functions and powers of the Board shall include:-

a) To examine, formulate and propose the short-term and long-term plan and contours of the mission program on electric mobility, its objectives, quantifiable outcomes and roles and responsibilities of the various stakeholders.
b) To propose and recommend policy guidelines and government interventions and possible strategies for promoting electric mobility and for encouraging manufacture of electric vehicles in the country.
c) To analyze and propose the key interventions, incentives and projects required, propose the prioritization of the interventions and recommend the nodal agency/ministry for its implementation and propose the short-term and long-term road map for these interventions/projects.
d) To examine and propose to the National Council the introduction of any legislation , act or notification or amendment to an existing legislation, act or notification for promoting electric vehicles and their manufacturing in India.
e) To evaluate and recommend to the NCEM the projects, schemes, studies, interventions and initiatives and fund requirement for the same.
f) To expedite the standardization of electric vehicle charging systems and charging infrastructure.
g) To hold regular deliberations to ensure synergy amongst the efforts of the various stakeholders Ministries, industry, academia and research institutes. Co-ordinate and resolve bottlenecks, if any.
h) To formulate strategies and give directions to various ministries and other stakeholders for implementing the decisions of the NCEM.
i) To ensure and report compliance of action for the various decisions taken by NCEM.
j) To Co-ordinate and resolve difference of opinion amongst various ministries, if any.
k) To examine, recommend, monitor and review electric mobility related R&D projects and pilot projects.
l) To evaluate and propose various mechanisms and possible business models for popularizing electric mobility.
m) To explore and recommend possible collaborations and tie-ups for technology acquisitions, obtaining technical experts and exploring possible agreements with leading R&D centres globally to facilitate availability of technology to the domestic industry.
n) To monitor, review and report the progress of various projects, schemes and interventions and also suggest mid-course corrections, if any, to the NCEM. Recommend the additions, modifications and closure of parts and whole of any particular programme/scheme, if any.
o) The Board may, as deemed fit, also constitute Sub-Committees for looking into the various specific aspects.
p) Any other role that is assigned to it.

Contd./-

3. The National Board for Electric Mobility (NBEM) would meet periodically, to discharge the above functions and shall assist the NCEM.

4. National Automotive Board (NAB) would function as technical advisor and secretariat of the NBEM.

5. This is in supersession of earlier notification for constitution of NCEM (F.No. 12(89)/2009-AEI) published in the Gazette of India on 27th May 2011.

[Vishvajit Sahay]
Joint Secretary to the Government of India

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, मार्च, 2017

फा.सं.6/01/2017-एनएबी (ऑटो)- 1(i) इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक वाहनों (हाइब्रिड वाहन सहित) और उनके कलपुर्जों के विनिर्माण का प्रसार करने के लिए 'राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान' का शुभारंभ करने हेतु तथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परिषद (एनसीईएम) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बोर्ड (एनबीईएम) की स्थापना के लिए मंत्रिमंडल की दिनांक 31 मार्च, 2011 को हुई अपनी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बोर्ड (एनबीईएम) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामतः-

1)	सचिव (भारी उद्योग विभाग)	-	अध्यक्ष
2)	सचिव (आर्थिक कार्य विभाग)	-	सदस्य
3)	सचिव (राजस्व विभाग)	-	सदस्य
4)	सचिव (विद्युत मंत्रालय)	-	सदस्य
5)	सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)	-	सदस्य
6)	सचिव (शहरी विकास मंत्रालय)	-	सदस्य
7)	सचिव (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय)	-	सदस्य
8)	सचिव (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)	-	सदस्य
9)	सचिव (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)	-	सदस्य
10)	सचिव (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय)	-	सदस्य
11)	सचिव (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)	-	सदस्य
12)	सलाहकार (परिवहन), नीति आयोग	-	सदस्य
13)	अध्यक्ष, टेक्नीकल एडवाइजरी ग्रुप	-	सदस्य
14)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नैट्रिप/अध्यक्ष, एनएबी (प्रस्तावित)	-	सदस्य
15)	अध्यक्ष, सोसायटी ऑफ इण्डियन ऑटोमोबाइल मैन्युफेक्चरर्स (एसआईएएम)	-	सदस्य
16)	अध्यक्ष, ऑटोमोबाइल कम्पोनेंट मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (एसीएमए)	-	सदस्य
17)	अध्यक्ष, सोसायटी ऑफ मैन्युफेक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एसएमईवी)	-	सदस्य
18)	अध्यक्ष, बैटरी मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन	-	सदस्य
19)	संयुक्त सचिव (प्रभारी ऑटोमोबाइल डिवीजन)	-	सदस्य सचिव

नामित सदस्य:

ऑटोमोबाइल उद्योग, शैक्षणिक संस्थान तथा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एवं विशेषज्ञता प्राप्त 6 सदस्य -

20) श्री विक्रम श्रीकांत किर्लोस्कर, सीएमडी, किर्लोस्कर सिस्टम्स लि.
21) श्री विनोद दाशारी, एमडी, अशोक लीलैंड

22) श्री पवन गोयनका, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा
23) श्री एस विजय आनन्द, सीईओ, अमारा राजा बेटरीज
24) सुश्री अन्नामलाई हेमलता, एमडी, एमपेयर व्हीकल्स लि.
25) श्री सुदर्शन वेनू संयुक्त एमडी टीवीएस मोटर्स

(ii) अध्यक्ष, एनबीईएम, समय-समय पर, आवश्यकतानुसार, राज्य सरकारों या केन्द्र शासित प्रदेशों से सदस्यों सहित अतिरिक्त सदस्यों को भी सहयोजित कर सकते हैं।

(iii) **सदस्यों का कार्यकाल:** नामित सदस्यों का बोर्ड में कार्यकाल दो वर्ष की अवधि या सरकार के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, होगा। यदि आवश्यक हो, तो इन सदस्यों को अतिरिक्त अवधि हेतु, पुन: नामित किया जा सकता है।

2. **राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बोर्ड के प्रकार्य और शक्तियां:-** इस बोर्ड के मुख्य प्रकार्य और शक्तियां निम्नलिखित हैं:-

क) इलेक्ट्रिक मोबिलिटी संबंधी मिशन कार्यक्रम की अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना तथा रूपरेखा, इसके उद्देश्य, मात्रात्मक परिणाम तथा विभिन्न स्टेकहोल्डरों की भूमिका और दायित्वों की जांच, निरुपण और प्रस्ताव करना।

ख) देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों और सरकारी नियामक कार्रवाई और संभावित रणनीति का प्रस्ताव रखना और उनकी संस्तुति करना।

ग) आवश्यक नियामक कार्रवाई, प्रोत्साहन और परियोजनाओं का प्रस्ताव रखना और विश्लेषण करना, नियामक कार्रवाई की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव करना तथा इसके कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेन्सी/मंत्रालय की सिफारिश करना और इन नियामक कार्रवाई/ परियोजनाओं के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रूपरेखा का प्रस्ताव करना।

घ) भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों और इनके विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किसी विधान, अधिनियम या अधिसूचना लाने या वर्तमान विधान, अधिनियम या अधिसूचना में संशोधन करने के लिए जांच करना और राष्ट्रीय परिषद को प्रस्ताव देना।

ङ) एनसीईएम को परियोजनाओं, स्कीमों, अध्ययनों, नियामक कार्रवाई और पहलों का मूल्यांकन करना तथा इसके लिए आवश्यक वित्त की संस्तुति करना।

च) इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सिस्टम और चार्जिंग अवसंरचना के मानकीकरण संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाना।

छ) विभिन्न स्टेकहोल्डर मंत्रालयों, उद्योग, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के प्रयासों में सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए नियमित विचार-विमर्श करना, समन्वय करना और यदि कोई बाधा हो, तो उसे सुलझाना।

ज) एनसीईएम के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए स्ट्रेटेजी तैयार करना और विभिन्न मंत्रालयों और अन्य स्टेकहोल्डरों को निदेश देना।

झ) एनसीईएम द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना और इसकी अनुपालन रिपोर्ट देना।

ञ) विभिन्न मंत्रालयों के मध्य समन्वय स्थापित करना और मतभेद, यदि कोई हो, तो उसे सुलझाना।

ट) इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से संबंधित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं और प्रायोगिक परियोजनाओं की जांच, संस्तुति तथा पर्यवेक्षण और समीक्षा करना।

ठ) इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न क्रियाविधियों और संभावित व्यवसाय मॉडलों की जांच और प्रस्ताव करना।

ड) घरेलू उद्योग में प्रौद्योगिकी की उपलब्धता सुगम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी अधिग्रहण हेतु सहयोग और मेल-जोल की संभावना का पता लगाना और सिफारिश करना, तकनीकी विशेषज्ञ प्राप्त करना तथा विश्व के अग्रणी अनुसंधान और विकास केन्द्रों के साथ संभावित समझौता की संभावनाओं का पता लगाना।

ढ) विभिन्न परियोजनाओं, स्कीमों और नियामक कार्रवाई की प्रगति का प्रबोधन, समीक्षा और रिपोर्ट देना तथा मध्यावधिक सुधार, यदि कोई है, के लिए एनसीईएम को प्रस्ताव देना। किसी विशिष्ट कार्यक्रम/स्कीम, यदि कोई है, के अंशत: या पूर्णत: संवर्धन, संशोधन और समापन की अनुशंसा करना।

ण) बोर्ड यदि आवश्यक समझे, तो विभिन्न विशिष्ट पहलुओं की जांच के लिए उप समितियां भी बना सकता है।

त) कोई अन्य भूमिका जो इसे दी गई है।

3. राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बोर्ड उपर्युक्त प्रकार्यों के निर्वहन हेतु समय-समय पर बैठक करेगा तथा एनसीईएम को सहायता देगा।

4. नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी) एनबीईएम के तकनीकी सलाहकार और सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

5. यह एनसीईएम के गठन हेतु भारत के राजपत्र में दिनांक 27 मई 2011 को प्रकाशित पूर्ववर्ती अधिसूचना (फा.सं.12(89)/2009-एईआई) के अधिक्रमण में है।

विश्वजीत सहाय

(विश्वजीत सहाय)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

विश्वजीत सहाय/VISHVAJIT SAHAY
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
भारी उद्योग विभाग
Department of Heavy Industry
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011
Udyog Bhawan, New Delhi-110011